



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44125-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस. रिट याचिका संख्या - 3048/2026

हाजी तस्लीम

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदित्य प्रसाद मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता राज्य के विद्वान ,शासकीय अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. इस रिट याचिका में दिनांक 31.10.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (मुकदमा अपराध संख्या 640/2025) को रद्द करने की मांग की गई है, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 की धारा 8/20 के तहत पुलिस स्टेशन- लोहिया नगर, जिला- मेरठ में दर्ज की गई थी।
3. याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है और अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना चाहिए।
4. इसके विपरीत, मुख्य अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता 65 आपराधिक मामलों में संलिप्त है। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 843/2024, निदेशालय प्रवर्तन बनाम नीरज त्यागी और अन्य के मामले में दिए गए निर्णयों के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, राज्य के विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 65 अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
6. इसलिए विवादित ,प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकृत की जाती है।
7. रिट याचिका बलहीन है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।